

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:-एफ.2(7144)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/377/2020

जयपुर, दिनांक:- 24/08/2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्रस	मेरिट / रोल नं	नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	3655	श्री जितेन्द्र सिरावता	कार्यालय विधि एवं विधिक कार्य विभाग, (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।	(i) Energy Efficiency Services Limited- Assistant Engineer (Technical) 2019 (ii) Securities and Exchange Board of India- Assistant Manager (IT) 2019 (iii) NIELIT, Scientist B & Scientific/Technical Asst-A, 2020
2	3930	श्री जितेन्द्र कुमार असवाल	कार्यालय राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि0 (प्रोजेक्ट-सी.एस. सी. 2.0 स्कीम), झुंझनुं	RPSC-ACF & Forest Range Officer-2018
3	3292	श्री केशव जिरोतिया	पंजीयन एवं मुदांक विभाग, मुख्यालय, अजमेर	NIC-Scientist-B & Scientific/Technical Assistant-A
4	2814	श्रीमती ईशिता पारीक	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।	(i) DSSSB-TGT(Computer Science) (ii) UPSC-Enforcement Officer/Accounts Officer, EPFO, Ministry of Labour & Employment (iii) NIC Scientist B & Scientific/Technical Asst-A, 2020
5	2465	श्री जयकिशन टाक	कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार, बीकानेर	NTA-UGC NET June-2020
6	1961	श्री जितेन्द्र चौधरी	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, अजमेर।	RPSC-ACF & Forest Range Officer-I 2018
7	Batch 2018 (315513)	श्री हरफूल चन्द मीणा	कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, ब्यावर	(i) RPSC-ACF & Forest Range Officer-2018 (ii) NIC-Scientist-B & Scientific/Technical Assistant-A
8	Batch 2018 (247555)	श्री जिम्मी वर्मा	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़	(i) RPSC-ACF & Forest Range Officer-I 2018 (ii) NIC-Scientist-B & Scientific/Technical Assistant-A
9	Batch 2018 (259026)	श्री कुलदीप कुमार मीणा	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, चित्तोडगढ़	(i) UPSC- Civil Services Exam-2020 (ii) RPSC-ACF & Forest Range Officer-I 2018
10	Batch 2018 (289192)	सुश्री/श्रीमती कल्पना पालीवाल	कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	RPSC-ACF & Forest Range Officer-I 2018
11	Batch 2018 (318370)	श्री हिमांशु मेहरा	कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रावतभाटा	(i) RPSC-ACF & Forest Range Officer-I 2018 (ii) LIC Assistant Administrative Officer (AAO) IT Specialist 2020 (iii) NIELIT, Scientist B & Scientific/Technical Asst-A, 2020 (iv) Graduate Aptitude Test Engineering- 2020
12	Batch 2018 (235109)	श्री कमलेश कुमार मीणा	कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, धोरीमन्ना, बाडमेर	(i) UPSC- Civil Services Exam-2020 & Indian Forest Service (ii) RSMSSB-Stenographer-2018
13	Batch 2018 (271721)	श्री कुलदीप कुमार मीणा	कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शिव, बाडमेर	DSSSB-TGT(Computer Science)

Cont...

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

14	Batch 2018 (263846)	श्री हरीश कुमार सैनी	कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सवाईमाधोपुर।	(i) SSC CGL-2019 (ii) RRB (NTPC) 2019 (CEN 01/2/19)
15	Batch 2018 (310013)	श्री देवेन्द्र सिंह	कार्यालय उप वन संरक्षक(वन्यजीव), भरतपुर	RPSC-School Lecturer (Sanskrit Edu.) - 2018

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन कर्मचारियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. परीक्षा की स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
4. परीक्षा की तैयारी से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रशासनिक कारण वश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

Sd/-
(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी(यू.आई.डी) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन(अराजपत्रित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

Gtm
24/08/2020
प्रशासनिक अधिकारी(संस्थापन)

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक:- एफ.2(7980)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/19/03638

जयपुर, दिनांक 24.08.2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री देवकी नंदन गौतम, सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन) ने प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है :-

क्र.सं.	परीक्षा का नाम
1.	RSMSSB द्वारा आयोजित LIBRARIAN परीक्षा
2.	DSSB द्वारा आयोजित PGT-Computer Science Teacher परीक्षा
3.	DSSB द्वारा आयोजित PGT-Computer Science Teacher परीक्षा

श्री देवकी नंदन गौतम, सूचना सहायक को उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन कर्मचारियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. परीक्षा की स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका सीनान्तरण किया जा सकता है।
4. परीक्षा की तैयारी राज सेवाक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

sd/-

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. एसीपी (उपनिदेशक), कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. श्री देवकी नंदन गौतम, सूचना सहायक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

Gtm
24/08/2020

प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक :-एफ.2(7475)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/18/03635/2020

जयपुर, दिनांक 24.02.2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र.स.	मेरिट नं./बैच	नाम एवं पद	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1.	958 (2013)	श्री विजय शर्मा, सूचना सहायक	कार्यालय तहसीलदार सिकराय. जिला- दौसा	1. RPSC - ACF AND FOREST RANGE OFFICER Gr-I 2018
2.	New IA 2018	श्री विकास मीणा, सूचना सहायक	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, नगरपालिका- इन्द्रगढ़, बून्दी	1. NIC - SCIENTIST-'B' AND SCIENTIFIC/TECHNICAL ASSISTANT- 'A' 2. LIC - ASSISTANT ADMINISTRATIVE OFFICER (IT)

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन कर्मचारियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. परीक्षा की स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
4. परीक्षा की तैयारी से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रशासनिक कारण वश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

— sd —

(विवेक कुमार)

विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.)

एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

G m
24/08/2020

प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)